न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 163/2018 **दायरा दिनांक : 17.09.2018**

उनवान

गौरीशंकर आत्मज ओगढ़नाथ जी, जाति नाथ, निवासी ग्राम घोड़ी गांव, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 593/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का खारिज करने में त्रुटि की है। ग्राम घोड़ी गांव तहसील अन्ता की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 238

रकबा 8 बीघा का अपीलांट को लगभग 30–35 वर्ष पूर्व आवंटन दिया गया था जिस पर अपीलांट का आवंटन की दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचना व जानकारी के लोक अदालत में रखकर अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने के बाबत कोई काउंटर क्लेम पेश नहीं किया है । बिना काउंटर क्लेम के सहायता चाहे बिना अध्कीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवंटन को खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि जहां पर रेस्पोडेंट का जवाब रिकार्ड पर आने पर वाद तनकीयात कायम कर, साक्ष्य लेकर ही निर्णित किये जाने का प्रावधान है । उक्त कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना ही वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 अपास्त किये जाने योग्य है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट की ओर से नजीर आर आर टी 2018–19 (सप्लीमेंन्ट्री) पेज 394 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि तनकीयात कायमी की गई परन्तु तद्नुसार निर्णय पारित नहीं किया गया । पत्रावली पर सी पी सी के प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है । अतः हम पत्रावली को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा